न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 141/2020

प्रार्थीगण :–

1. केसराराम वल्द अणदाराम
2. चेलाराम पुत्र अणदाराम
3. कृष्ण पुत्र अणदाराम
4. भारताराम पुत्र अणदाराम
5. तगुदेवी पत्नी अणदाराम
   जाति रबारी निवासी मालियों का वास नया नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. दौलतसिंह पुत्र हेमसिंह
2. शेरसिंह पुत्र दुर्गसिंह
3. शंकरसिंह पुत्र दुर्गसिंह
4. नारायणसिंह पुत्र दुर्गसिंह
5. शैलसिंल पुत्र दुर्गसिंह
6. भवानीसिंह पुत्र दुर्गसिंह
7. सूरजदेवी पत्नी दुर्गसिंह
8. भाउकंवर पत्नी छैलसिंह
9. मनीषा पत्नी चैनसिंह जाति राजपूत
10. ताजाराम पुत्र छगनाराम जाति माली निवासी राठौडों उर्फ मालियों की ढाणी
11. बलूराम पुत्र जगाराम जाति भील
12. गोरधनराम पुत्र देवाराम
13. मगाराम पुत्र देवाराम
14. छगनी पत्नि देवाराम जाति रबारी निवासी मालियों का वास नया नगर
15. तहसीलदार गुडामालानी

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थितः–

1. श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 10.08.21

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय का[illegible] गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.08.16 13:51:46 IST
Reason: SelfAttested

हमने [illegible] श्री बाबूलाल विश्नोई की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय[illegible] प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2073–2076 [illegible]द मौजा मालियों का वा[illegible]र मण्डल नगर तहसील गुडामालानी के खेत खसरा 454 एकबा 14–06 बीघा भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव ब विवाद की स्थिति पडौसी

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा मालियों का वास पटवार मण्डल नगर तहसील गुडामालानी के खेत खसरा 454 रकबा 14–06 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना आरजीटी रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 10/8/21 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.08.16 13:51:46 IST
Reason: SelfAttested